

फर्द अहकाम
(नियम-26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

भंवरलाल वगैरह

बनाम

पांचाराम वगैरह

किस्म प्रकरण : राजस्व प्रार्थना पत्र

मुकदमा नं. 64/2015

तारिख हुकम	हुकम या कार्यवाही इनिशिलस जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुय।
19.05.2015	<p>यह प्रार्थना पत्र अधीन धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं ऑर्डर 39 रूल 1 व 2 सी.पी.सी सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के तहत वकील श्री इन्द्रसिंह राठौड़ ने पेश कर अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत निवेदन किया।</p> <p>वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात् के अवलोकन से मामला प्रथम दृष्टयां प्रार्थीगण के पक्ष में, सुविधा का संतुलन का बिन्दू एवं अपूरणीय क्षति भी प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होने पर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबंद किया जाता है कि प्रार्थी के खातेदारी खेत ग्राम लूणसरा के खसरा नं. 467 रकबा 7.14 बीघा, 1812/467 रकबा 7.13 बीघा की भूमि के मौके की यथास्थिति आगामी आदेश तक बनाये रखे। अप्रार्थीगण को सम्मन जरिये रजिस्टर्ड डाक से भिजवाने हेतु डाक खर्च मय लिफाफा पेश होने पर जारी हो। पत्रावली दिनांक 24.06.2015 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">4</p> <p style="text-align: center;">सहायक कलक्टर (एस. डी. ओ.) जायल (नागौर)</p>	
24/6/15	<p>राजस्थान/पञ्जाब क अधिवक्ता</p> <p>रोटारि प्रकरण नम्बर 109115- रकबा 3P</p>	
10/9/15	<p>राजस्थान/पञ्जाब क अधिवक्ता</p> <p>रोटारि प्रकरण नम्बर 109115- रकबा 3P</p>	
7/12/15	<p>राजस्थान/पञ्जाब क अधिवक्ता</p> <p>रोटारि प्रकरण नम्बर 109115- रकबा 3P</p>	
7/12/15	<p>राजस्थान/पञ्जाब क अधिवक्ता</p> <p>रोटारि प्रकरण नम्बर 109115- रकबा 3P</p>	
17/2/16	<p>राजस्थान/पञ्जाब क अधिवक्ता</p> <p>रोटारि प्रकरण नम्बर 109115- रकबा 3P</p>	
6/5/16	<p>राजस्थान/पञ्जाब क अधिवक्ता</p> <p>रोटारि प्रकरण नम्बर 109115- रकबा 3P</p>	

अकार/पक्षकारान के अधिवक्ता

6/5/16

पीठासीन अधिकारी की मितिग में/अमण
प्रकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण
उनके समक्ष दिनांक 12-8-16 को
प्रस्तुत करें।

अकार/पक्षकारान के अधिवक्ता

12-8-16

पीठासीन अधिकारी की मितिग में/अमण
प्रकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण
उनके समक्ष दिनांक 10-10-16 को
प्रस्तुत करें।

अकार/पक्षकारान के अधिवक्ता

10-10-16

पीठासीन अधिकारी की मितिग में/अमण
प्रकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण
उनके समक्ष दिनांक 2-3-17 को
प्रस्तुत करें।

23.1.17

वकील जामी उर्फ वकील जामी अजय अजय
के समक्ष 23/1/17 को फेर हो। पत्रावली
दि 28-4-17 को फेर हो।

13.9.17

अकार/पक्षकारान के अधिवक्ता

पीठासीन अधिकारी की मितिग में/अमण
अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण
उनके समक्ष दिनांक 05-01-18 को
प्रस्तुत करें।

e

5-01-18

अकार/पक्षकारान के अधिवक्ता

पीठासीन अधिकारी की मितिग में/अमण
अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण
उनके समक्ष दिनांक 18-04-19 को
प्रस्तुत करें।

Note pass 01/18
Dmz

पत्रावली न्याय आप के डाटा सिस्टिम
असल सेवा केन्द्र प्रणालय में पत्रावली
वकील जामी के नोटबैस विवेक किया
कि जामीगण जामीना पत्र को चलाना
नहीं चाहते है इसलिए जामिके विकास
रवायज किया जामे। वकील जामी के
नोटबैस करने के कारण जामीगण को
जामीना पत्र जामिके विडोल् रवायज
किया जाता है। पत्रावली केसल शुभा
लेवट उर्फ डाफिल हो।